

रायबरेली विकास प्राधिकरण, रायबरेली

सार्वजनिक नोटिस

जनसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित आवेदक ने नीचे सारणी के स्तम्भ-3 में उल्लिखित सम्पत्ति, जो प्राधिकरण की इन्दिरा नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत स्थित है, का अंतरण/नामान्तरण अपने नाम कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है:-

क्रम संख्या	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड/ भवन/ प्लैट संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम (पिता/पति का नाम सहित)	आवेदक का पता एवं दूरभाष संख्या	अन्तरण/ नामान्तरण का आधार	पट्टाघृत/पूर्ण स्वामित्व युक्त सम्पत्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती शैल सिंह पत्नी श्री सत्य प्रकाश सिंह निवासी एल-437, इन्दिरा नगर, रायबरेली	उच्च आय वर्गीय भूखण्ड संख्या-38	इन्दिरा नगर विस्तार योजना	श्री गौरव सिंह पुत्र स्व0 सत्य प्रकाश सिंह	एल-437, इन्दिरा नगर, रायबरेली	मृत्यु उपरान्त नामान्तरण	पूर्ण स्वामित्व युक्त सम्पत्ति

यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त भवन/भूखण्ड के अन्तरण/नामान्तरण के विरुद्ध कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्तियां सहायक दस्तावेजों सहित इस नोटिस के प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 30 दिन के भीतर सचिव, रायबरेली विकास प्राधिकरण, रायबरेली को प्रस्तुत कर सकता/सकती है अन्यथा स्तम्भ-5 में अंकित व्यक्ति के नाम से सम्पत्ति का अंतरण/नामान्तरण प्राधिकरण के अभिलेखों में दर्ज कर दिया जायेगा और कोई पश्चातवर्ती दावा, यदि कोई हो, ग्रहण नहीं किया जायेगा।


सचिव

रायबरेली विकास प्राधिकरण
रायबरेली।

कार्यालय, रायबरेली विकास प्राधिकरण, रायबरेली ।

संख्या : १०७ /सम्प०अनु० / 2024-25 / राविप्रा / 2024 दिनांक : 13/11/ अक्टूबर, 2024

विज्ञापन व्यवस्थापक
आधुनिक समाचार पत्र
रायबरेली ।

कृपया संलग्न विज्ञापन सामग्री अपने आगामी अंक में उचित स्थान पर रू० 2000-00 (रू० दो हजार मात्र) जी०एस०टी० सहित के अन्तर्गत प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

विज्ञापन प्रकाशनोपरान्त भुगतान हेतु बिल समाचार-पत्र की प्रति सहित प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

सम्पत्ति अधिकारी / अधिशासी अभियन्ता,
रा०वि०प्रा० रायबरेली

रायबरेली विकास प्राधिकरण, रायबरेली।

संख्या 900 / सम्प0अनु0 / 2024-25 / रा0वि0प्रा0 / 2024 दिनांक 13 नवम्बर, 2024

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
रायबरेली।

विषय : पारिवारिक सदस्यों का विवरण/प्रमाण-पत्र की पुष्टि के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री गौरव सिंह पुत्र स्व0 सत्य प्रकाश सिंह, निवासी-एल-437 इन्दिरा नगर, रायबरेली द्वारा आन लाईन आवेदन संख्या एम.यू. 2024102916264167 के माध्यम से उच्च वर्गीय भूखण्ड संख्या-38, इन्दिरा नगर विस्तार योजना, रायबरेलीके नामान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त आवेदन के साथ आपके कार्यालय के पत्रांक 3346/वाद लिपिक प्रमाण-पत्र/2024 दिनांक 24.10.2024 द्वारा श्रीमती शैल सिंह पत्नी स्व0 सत्य प्रकाश सिंह, एल-437 इन्दिरा नगर, रायबरेलीके पारिवारिक सदस्यों का विवरण की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी है।

अतः उक्त प्रमाण-पत्र की छाया प्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि उक्त प्रमाण-पत्र की पुष्टि से इस कार्यालय के अवगत कराना का कष्ट करें, ताकि नामान्तरण सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

अधिशायी अभियन्ता,
रायबरेली विकास प्राधिकरण,
रायबरेली।

संख्या एवं दिनांक : तदैव।

प्रतिलिपि : श्री गौरव सिंह पुत्र स्व0 सत्य प्रकाश सिंह, निवासी-एल-437 इन्दिरा नगर, रायबरेली को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशायी अभियन्ता


रायबरेली विकास प्राधिकरण, रायबरेली

सार्वजनिक नोटिस

जनसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित आवेदक ने नीचे सारणी के स्तम्भ-3 में उल्लिखित सम्पत्ति, जो प्राधिकरण की फिरोज गांधी योजना संख्या-05 के अन्तर्गत स्थित है, का अंतरण/नामान्तरण अपने नाम कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है:-

क्रम संख्या	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड/ भवन/ प्लैट संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम (पिता/पति का नाम सहित)	आवेदक का पता एवं दूरभाष संख्या	अन्तरण/ नामान्तरण का आधार	पट्टाधृत /पूर्ण स्वामित्व युक्त सम्पत्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री वीर बहादुर सिंह पुत्र श्री शिव गुलाम सिंह निवासी हाउस नं० एम0आई0जी0-13 इन्दिरा नगर रायबरेली	भवन संख्या एम0आई0जी0-13	फिरोज गांधी योजना संख्या-05	श्री राम प्रताप सिंह पुत्र स्व० वीर बहादुर सिंह	एम0आई0जी0-13, इन्दिरा नगर, रायबरेली	मृत्यु उपरान्त नामान्तरण	पूर्ण स्वामित्व युक्त सम्पत्ति

यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त भवन/भूखण्ड के अन्तरण/नामान्तरण के विरुद्ध कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्तियां सहायक दस्तावेजों सहित इस नोटिस के प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 30 दिन के भीतर सचिव, रायबरेली विकास प्राधिकरण, रायबरेली को प्रस्तुत कर सकता/सकती है अन्यथा स्तम्भ-5 में अंकित व्यक्ति के नाम से सम्पत्ति का अंतरण/नामान्तरण प्राधिकरण के अभिलेखों में दर्ज कर दिया जायेगा और कोई पश्चातवर्ती दावा, यदि कोई हो, ग्रहण नहीं किया जायेगा।


सचिव

रायबरेली विकास प्राधिकरण
रायबरेली।

कार्यालय, रायबरेली विकास प्राधिकरण, रायबरेली ।

संख्या : /सम्प0अनु0/2024-25/राविप्रा/2024 दिनांक : अक्टूबर, 2024

विज्ञापन व्यवस्थापक
लखनऊ मेल
रायबरेली ।

कृपया संलग्न विज्ञापन सामग्री अपने आगामी अंक में उचित स्थान पर रू0 2000-00 (रू0 दो हजार मात्र) जी0एस0टी0 सहित के अन्तर्गत प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

विज्ञापन प्रकाशनोपरान्त भुगतान हेतु बिल समाचार-पत्र की प्रति सहित प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

सम्पत्ति अधिकारी/अधिशाली अभियन्ता,
रा0वि0प्रा0 रायबरेली

रायबरेली विकास प्राधिकरण, रायबरेली

सार्वजनिक नोटिस

जनसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित आवेदक ने नीचे सारणी के स्तम्भ-3 में उल्लिखित सम्पत्ति, जो प्राधिकरण की स्वराज नगर योजना के अन्तर्गत स्थित है, का अंतरण/नामान्तरण अपने नाम कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है:-

क्रम संख्या	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड/ भवन/ प्लैट संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम (पिता/पति का नाम सहित)	आवेदक का पता एवं दूरभाष संख्या	अन्तरण/ नामान्तरण का आधार	पट्टाघृत/पूर्ण स्वाभित्व युक्त सम्पत्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री अशफाक हुसैन पुत्र स्व0 मुजतबा हुसैन निवासी सी-309/5, करेली स्कीम तहसील करेली इलाहाबाद	भूखण्ड संख्या ई0डब्लू0एस0 -07	स्वराज नगर योजना	श्री मोहम्मद शाह कादरी पुत्र स्व0 अशफाक हुसैन जायसी	निवासी मकान नं0 सी-309/5 करैली, जी0टी0वी0 नगर, जिला प्रयागराज	मृत्यु उपरान्त नामान्तरण	पूर्ण स्वाभित्व युक्त सम्पत्ति

यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त भवन/भूखण्ड के अन्तरण/नामान्तरण के विरुद्ध कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्तियां सहायक दस्तावेजों सहित इस नोटिस के प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 30 दिन के भीतर सचिव, रायबरेली विकास प्राधिकरण, रायबरेली को प्रस्तुत कर सकता/सकती है अन्यथा स्तम्भ-5 में अंकित व्यक्ति के नाम से सम्पत्ति का अंतरण/नामान्तरण प्राधिकरण के अभिलेखों में दर्ज कर दिया जायेगा और कोई पश्चातवर्ती दावा, यदि कोई हो, ग्रहण नहीं किया जायेगा।


सचिव

रायबरेली विकास प्राधिकरण
रायबरेली।

कार्यालय, रायबरेली विकास प्राधिकरण, रायबरेली ।


संख्या : 98 / सम्प0अनु0 / 2024-25 / राविप्रा / 2024 दिनांक : 13/11/2024
अक्टूबर/2024

विज्ञापन व्यवस्थापक
लखनऊ मेल
रायबरेली ।

कृपया संलग्न विज्ञापन सामग्री अपने आगामी अंक में उचित स्थान पर रू0 2000-00 (रू0 दो हजार मात्र) जी0एस0टी0 सहित के अन्तर्गत प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

विज्ञापन प्रकाशनोपरान्त भुगतान हेतु बिल समाचार-पत्र की प्रति सहित प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।


सम्पत्ति अधिकारी / अधिशासी अभियन्ता,
रा0वि0प्रा0 रायबरेली

रायबरेली विकास प्राधिकरण, रायबरेली।

संख्या 906 / सम्प0अनु0 / 2024-25 / रा0वि0प्रा0 / 2024 दिनांक 13 नवम्बर, 2024

श्री राजीव पाण्डेय

पुत्र स्व0 राज नारायण पाण्डेय

निवासी भवन संख्या एच.आई.जी.-54

जवाहर विहार योजना,

रायबरेली।

रायबरेली विकास प्राधिकरण, रायबरेली की जवाहर विहार योजना में श्रीमती श्यामा पाण्डेय पत्नी श्री राज नारायण पाण्डेय निवासी-मदाखेड़ा पो0 नीवी तहसील लालगंज, रायबरेली के पक्ष में आवंटित भवन संख्या एल0आई0जी0-11-234 के नामान्तरण हेतु प्रस्तुत आपके आन लाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 08.07.2024 के सन्दर्भ में सूचित करना है कि प्राधिकरण की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नामान्तरण एवं नामान्तरण शुल्क जमा कराने की स्वीकृति सचिव महोदया के आदेश दिनांक 10.07.2024 द्वारा प्रदान कर दी गयी है। आप नामान्तरण शुल्क रू0 5000-00 (रू. पांच हजार) मात्र आन लाईन के माध्यम से शीघ्र जमा करना सुनिश्चित करें ताकि उल्लिखित भूखण्ड/भवन का नामान्तरण आदेश निर्गत किया जा सके।



अधिशारी अभियन्ता,
रायबरेली विकास प्राधिकरण,
रायबरेली।

रायबरेली विकास प्राधिकरण, रायबरेली।

संख्या १०५ / सम्प०अनु० / 2024-25 / रा०वि०प्रा० / 2024 दिनांक 13 नवम्बर, 2024

श्रीमती मंजूलता सिंह
पत्नी डा० राजेन्द्र बहादुर सिंह,
निवासी-ग्राम भेगौरा, पो० लालगंज हजारा
जिला-प्रतापगढ़।

रायबरेली विकास प्राधिकरण, रायबरेली की इन्दिरा नगर विस्तार योजना में श्री मनमोहन मिश्रा पुत्र बी० पुत्र बी०डी० मिश्रा, निवासी- ग्राम-पड़री, गनेश पुर पोस्ट नकफुलहा, तहसील व जिला रायबरेली के पक्ष में आवंटित भवन/भूखण्ड संख्या एच०आई०जी०-11-21 के नामान्तरण हेतु प्रस्तुत आपके आन लाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 24.10.2024 के सन्दर्भ में सूचित करना है कि प्राधिकरण की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नामान्तरण एवं नामान्तरण शुल्क जमा कराने की स्वीकृति सचिव महोदया के आदेश दिनांक 12.11.2024 द्वारा प्रदान कर दी गयी है। आप नामान्तरण शुल्क रू० 5000-00 (रू. पांच हजार) मात्र आन लाईन के माध्यम से शीघ्र जमा करना सुनिश्चित करें ताकि उल्लिखित भूखण्ड/भवन का नामान्तरण आदेश निर्गत किया जा सके।



अधिशारी अभियन्ता,
रायबरेली विकास प्राधिकरण,
रायबरेली।

रायबरेली विकास प्राधिकरण, रायबरेली।

संख्या १०५ / सम्प०अनु० / 2024-25 / रा०वि०प्रा० / 2024 दिनांक 13 नवम्बर, 2024

श्री मनोज कुमार मिश्रा पुत्र स्व० कृष्ण कुमार मिश्रा,
निवासी-हाजीपुर,
जिला-रायबरेली।

रायबरेली विकास प्राधिकरण, रायबरेली की प्रगतिपुरम योजना में श्रीमती माधुरी मिश्रा पत्नी स्व० कृष्ण कुमार मिश्रा निवासी-ग्राम व पो० हाजीपुर, रायबरेली के पक्ष में आवंटित भवन संख्या एल०आई०जी०-III-04 के नामान्तरण हेतु प्रस्तुत आपके आन लाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 12.09.2024 के सन्दर्भ में सूचित करना है कि प्राधिकरण की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नामान्तरण एवं नामान्तरण शुल्क जमा कराने की स्वीकृति सचिव महोदया के आदेश दिनांक 04.11.2024 द्वारा प्रदान कर दी गयी है। आप नामान्तरण शुल्क रू० 5000-00 (रू. पांच हजार) मात्र आन लाईन के माध्यम से शीघ्र जमा करना सुनिश्चित करें ताकि उल्लिखित भूखण्ड/भवन का नामान्तरण आदेश निर्गत किया जा सके।




अधिशायी अभियन्ता,
रायबरेली विकास प्राधिकरण,
रायबरेली।

रायबरेली विकास प्राधिकरण, रायबरेली।

संख्या १०३ / सम्प०अनु० / 2024-25 / रा०वि०प्रा० / 2024 दिनांक 13 नवम्बर, 2024

श्री चन्द्र प्रकाश
पुत्र स्व० जगदीश प्रसाद शर्मा
निवासी-एम-21, अमरेशपुरी कालोनी,
रायबरेली।

रायबरेली विकास प्राधिकरण, रायबरेली की अमरेशपुरी कालोनी में श्री जगदीश प्रसाद शर्मा पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा निवासी-एम०आई०जी०॥-21 अमरेशपुरी कालोनी, रायबरेली के पक्ष में आवंटित भवन संख्या एम०आई०जी०-॥-21 के नामान्तरण हेतु प्रस्तुत आपके आन लाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 29.05.2024 के सन्दर्भ में सूचित करना है कि प्राधिकरण की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नामान्तरण एवं नामान्तरण शुल्क जमा कराने की स्वीकृति सचिव महोदया के आदेश दिनांक 12.11.2024 द्वारा प्रदान कर दी गयी है। आप नामान्तरण शुल्क रू० 5000-00 (रू. पांच हजार) मात्र आन लाईन के माध्यम से शीघ्र जमा करना सुनिश्चित करें ताकि उल्लिखित भूखण्ड/भवन का नामान्तरण आदेश निर्गत किया जा सके।



अधिसासी अभियन्ता,
रायबरेली विकास प्राधिकरण,
रायबरेली।

रायबरेली विकास प्राधिकरण, रायबरेली।

संख्या 202/सम्प0अनु0/2024-25/रा0वि0प्रा0/2024 दिनांक 12 नवम्बर, 2024

श्रीमती जरीन फागिका
पुत्री स्व0 इशरत हुसैन,
निवासी 85 अलीगियां कालोनी,
निकट चम्पा देवी मन्दिर के सामने,
रायबरेली।

रायबरेली विकास प्राधिकरण, रायबरेली की नव आबाद कालानी में श्रीमती नजमा खातून पत्नी इशरत हुसैन, निवासी-म0नं0 84/74 जरीब चौक तहसील कानपुर, सदर, शहर जिला कानपुर के पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या 85 के नामान्तरण हेतु प्रस्तुत आपके आन लाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 29.06.2024 के सन्दर्भ में सूचित करना है कि प्राधिकरण की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नामान्तरण एवं नामान्तरण शुल्क जमा कराने की स्वीकृति सचिव महोदया के आदेश दिनांक 12.11.2024 द्वारा प्रदान कर दी गयी है। आप नामान्तरण शुल्क रू0 5000-00 (रू. पांच हजार) मात्र आन लाईन के माध्यम से शीघ्र जमा करना सुनिश्चित करें ताकि उल्लिखित भूखण्ड/भवन का नामान्तरण आदेश निर्गत किया जा सके।


अधिशारी अभियन्ता,
रायबरेली विकास प्राधिकरण,
रायबरेली।

रायबरेली विकास प्राधिकरण, रायबरेली।

संख्या 202 / सम्प0अनु0 / 2024-25 / रा0वि0प्रा0 / 2024 दिनांक 13 नवम्बर, 2024

श्री रविशंकर
पुत्र स्व0 हीरालाल,
निवासी-एम-05/77 प्रगतिपुरम कालोनी
निकट दुर्गा मन्दिर,
रायबरेली।

रायबरेली विकास प्राधिकरण, रायबरेली की प्रगतिपुरम् योजना में श्री हीरा लाल पुत्र स्व0 सतगुरु, निवासी-एम-05/77 प्रगतिपुरम कालोनी निकट दुर्गा मन्दिर, रायबरेली के पक्ष में आवंटित भवन संख्या एम0आई0जी0-05/77 के नामान्तरण हेतु प्रस्तुत आपके आन लाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 13.07.2024 के सन्दर्भ में सूचित करना है कि प्राधिकरण की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नामान्तरण एवं नामान्तरण शुल्क जमा कराने की स्वीकृति सचिव महोदया के आदेश दिनांक 12.11.2024 द्वारा प्रदान कर दी गयी है। आप नामान्तरण शुल्क रू0 5000-00 (रू. पांच हजार) मात्र आन लाईन के माध्यम से शीघ्र जमा करना सुनिश्चित करें ताकि उल्लिखित भूखण्ड/भवन का नामान्तरण आदेश निर्गत किया जा सके।

अधिसासी अभियन्ता,
रायबरेली विकास प्राधिकरण,
रायबरेली।

रायबरेली विकास प्राधिकरण, रायबरेली।

संख्या 201 / सम्प0अनु0 / 2024-25 / रा0वि0प्रा0 / 2024 दिनांक 12 नवम्बर, 2024

श्री अमन सैमुएल
पुत्र स्व0 अनिल सैमुएल,
निवासी-एम-11-40 जवाहर विहार कालोनी,
सुल्तानपुर रोड,
रायबरेली।

रायबरेली विकास प्राधिकरण, रायबरेली की जवाहर विहार कालोनी में श्रीमती नोरीन सैमुअल पत्नी श्री अनिल सैमुअल, निवासी-एम-11-40 जवाहर विहार कालोनी, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली के पक्ष में आवंटित भवन संख्या-एम-11-40 के नामान्तरण हेतु प्रस्तुत आपके आन लाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 14.08.2024 के सन्दर्भ में सूचित करना है कि प्राधिकरण की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नामान्तरण एवं नामान्तरण शुल्क जमा कराने की स्वीकृति सचिव महोदया के आदेश दिनांक 12.11.2024 द्वारा प्रदान कर दी गयी है। आप नामान्तरण शुल्क रू0 5000-00 (रू. पांच हजार) मात्र आन लाईन के माध्यम से शीघ्र जमा करना सुनिश्चित करें ताकि उल्लिखित भूखण्ड/भवन का नामान्तरण आदेश निर्गत किया जा सके।

अधिशारी अभियन्ता,
रायबरेली विकास प्राधिकरण,
रायबरेली।